न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां जिला बारां राज०
पीठासीन अधिकारी
काना राम मीणा,
(RJS)
निर्णय दिनांक :– 21.04.2026
आपराधिक प्रकरण सं. 84/2026
सीआईएस नं. 1254/2016
CNR No. RJBR020013212016
एफआईआर सं. 132/2016 पुलिस थाना सदर बारां जिला बारां (राज.)
अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम
PART– I
A

परिवादी	राजस्थान राज्य
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हरिओम मीणा अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	01. राजेन्द्र पुत्र किशोरलाल निवासी खजूरना कला थाना अंता जिला बारां राज.
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र नागर

B

अपराध की दिनांक		11.04.2016
एफआईआर की दिनांक		11.04.2016
आरोप पत्र की दिनांक		01.06.2016
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		17.11.2016
साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक		21.07.2018
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		21.04.2026
दंडादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	21.04.2026

C

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त/अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त/अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
01.	राजेन्द्र	11.04.2016	12.04.2016	19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम	दोषसिद्ध	पैरा नंबर 21 पर अंकितानुसार	11.04.2016 से 12.04.2016 तक

PART– II
साक्षियों की सूची– अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी
(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
PW1	मेघराज	ताईद चश्मदीद वाका
PW2	रामप्रसाद नागर	ताईद माल जमा मालखाना करना
PW3	महावीर प्रसाद	ताईद फर्द जप्ती चैकिंग, नक्शा मौका, गिरफ्तारी
PW4	अर्जुनराम	माल जमा एफएसएल करवाना

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
1	Ex P1 21.07.18 PW1, PW3	फर्द जप्ती
2	Ex P2 21.07.18 PW1, PW3	फर्द गिरफ्तारी
3	Ex P3 21.07.18 PW1	नक्शा मौका
4	Ex P4, Ex P4a 26.02.19 PW2	मालखाना रजिस्टर व उसकी प्रमाणित प्रति
5	Ex P5 08.11.19 PW3	चाक एफआईआर
6	Ex P6 09.02.24 PW4	जमा माल रसीद

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
-	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श:

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना:

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
-	–		

1. इस प्रकरण में आरोप पत्र थानाअधिकारी, पुलिस थाना बारां सदर की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 11.04.2016 को श्री महावीर प्रसाद एएसआई ने थाना बारां सदर पर फर्द चैकिंग एवं जप्ती प्रदर्श पी 01 इस आशय की लाकर पेश की कि मन महावीर प्रसाद भार्गव एएसआई मय हमराही जाप्ता श्री विनोद कुमार, मेघराज मय सरकारी मोटरसाईकिल के थाने से वास्ते चैकिंग अवैध शराब, हथियार हेतु बडा, कोयला, खेडली भेडोलियान रवाना हुआ थे रवाना हो चैकिंग अवैध शराब मौजा खेडली भेडोलियान करता हुआ बडा की तरफ जा रहा था। खेडली

भेडोलियान के पास गैस गोदाम के सामने एक व्यक्ति अपने कंधे पर एक कट्टा लिए मोग्या के टापरों की तरफ जा रहा था जो पुलिस जाप्ता को बावर्दी देखकर भागने लगा जिसे डिटेन कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजेन्द्र होना बताया। उसके पास के कट्टे के बारे में व भागने बाबत् पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। चैकिंग कार्यवाही हेतु मौके पर कोई गवाह नहीं होने से हमराही जाप्ता में से गवाह मामूलर कर राजेन्द्र के पास के कट्टे को चैक किया तो देशी शराब के 62 क्वाटर भरे मिले। प्रत्येक क्वाटर पर घुंघरू देशी सादा मदिरा 50 यूपी 180 एमएल का लेबल लगा हुआ है। चखा, सूंघा तो देशी शराब होना पाया। राजेन्द्र से इतनी मात्रा में देशी शराब अपने कब्जे में रखने बाबत् अनुज्ञापत्र चाहा तो नहीं होना बताया। राजेन्द्र का उक्त कृत्य अपराध धारा 19/54 एक्साईज एक्ट के तहत दंडनीय अपराध होने से बरामद देशी शराब के एक क्वार्टर को नमूना सेंपल हेतु लिया जाकर शील्ड मोहर कर मार्क ए दिया गया शेष 61 क्वाटर को उसी कट्टे में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क बी दिया गया। मुल्जिम राजेन्द्र से बरामद शराब बाबत् अनुसंधान किया जाना होने से धारा (ए) (1) सीआरपीसी की पालना नहीं की जाकर बाद आगाह जुर्म गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस लिया गया।..... इत्यादि।

3. उक्त फर्द चैकिंग एवं जप्ती के आधार पर पुलिस थाना सदर बारां पर मुकदमा नं0 132/2016 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्तानुसार उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को जुर्म धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से लिखित रूप में विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. तत्पश्चात साक्ष्य अभियोजन बंद की जाकर बयान मुल्जिम अंतगर्त धारा 313 दं0प्र0सं0 के लिए गए जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा बावजूद अवसर साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

6. बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का तर्क प्रस्तुत किया, जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मुल्जिम को प्रकरण में झूठा व रंजिशवंश फंसाया गया है। फर्द

जप्ती प्रदर्श पी 01 साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, जो गवाहान न्यायालय में पेश हुए हैं उनके बयानों से घटना प्रमाणित नहीं है, इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त करने का तर्क प्रस्तुत किया।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उनके समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है किः–

''न्यायालय के सामने विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 11.04.2016 को अपने सचेतन आधिपत्य से देशी सादा मदिरा के 62 क्वाटर बिना वैध अनुज्ञापत्र के परिवहन किए जा रहे थे उक्त दिनांक को समय 8.15 पीएम के लगभग खेडली भेडोलियान के पास गैस गोदाम के सामने से पुलिस थाना बारां सदर के दल द्वारा जप्त किए गए थे। यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का दायी है ?

8. उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी0डब्ल्यू–01 मेघराज ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 11.04.16 को वह थाना बारां सदर में कानि. के पद पर पदस्थापित था, उस दिन महावीर प्रसाद एएसआई के साथ वह, विनोद कुमार सरकारी मोटरसाईकिल से वास्ते गश्त एवं चैकिंग रवाना होकर गश्त करते हुए खेडली भेडोलियान करते हुए बड़ा की तरफ जा रहे थे तो गैस गोदाम के सामने से एक व्यक्ति कंधे पर सफेद कट्टा लिए मोग्यो की टापरी की तरफ जा रहा था। जो बावर्दी पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे जाब्ते की मदद से घेरा देकर पकड़ा व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजेन्द्र पुत्र किशनलाल होना बताया। उससे उक्त कट्टे बाबत् पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया इस पर आसपास स्वतंत्र गवाह तलाश किए कोई भी गवाह नहीं होने पर उसे व विनोद कुमार को गवाह मामूर कर एएसआई साहब ने कट्टे को चैक किया तो उसमें देशी शराब के क्वार्टर थे जिन्हें गिना तो 62 क्वार्टर थे। जिन पर देशी सादा मदिरा घुंघरू 50 यूपी 180 एमएल का लेबल लगा हुआ था। जिनमें से एक पव्वा खोलकर चखा, सूंघा, परखा तो सभी ने शराब होना पाया। राजेन्द्र से पूछा तो उसने भी शराब के क्वार्टर होना बताया। मौके पर ही एक क्वार्टर नमूना सेम्पल लिया जाकर सील्ड मोहर कर मार्का ए दिया व शेष क्वार्टरों को उसी कट्टे में रखकर सील्ड मोहर कर मार्का बी दिया। फर्द जब्ती शराब एग्जीविट पी 1 व फर्द गिरफतारी मुलजिम एग्जीविट पी 2 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका एग्जीविट पी 3 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

10. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि वे थाने से सरकारी मोटरसाईकिल से रवाना हुए थे। यह कहना सही है कि जब वे थाने से रवाना होते हैं तो रोजनामचे में रपट डाल कर रवाना होते है। रवानगी की रपट पत्रावली में है या नहीं यह उसे नहीं पता आईओ ही बता सकते हैं। पत्रावली देखकर गवाह ने कहा उनकी रवानगी रपट पत्रावली में नहीं है जो क्यों नहीं है वह नहीं बता सकता आईओ ही बता सकते हैं। जब्तशुदा माल में से केवल एक क्वार्टर ही खोलकर चैक किया था बाकी माल को चैक नहीं किया। वे साढ़े पौने आठ बजे घ ाटनास्थल पर पहुंच गए थे। फर्द जब्ती एग्जीविट पी 1 8:15 पर तैयार की थी। घ ाटनास्थल आम रोड है जहां पर व्यक्ति आ जा रहे थे। उन्होंने स्वतंत्र गवाह बनाने के लिए व्यक्तियों को रूकाया था कोई रूका नहीं। इसलिए फर्दों पर स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाए। मुलजिम के पास सफेद कट्टा था उस पर क्या लिख रखा था आज वह नहीं बता सकता फाईल देख के बता सकता है। फर्द जब्ती एग्जीविट पी 1 विनोद कानि. के हस्तलिखित है। यह कहना सही है कि जब्तशुदा माल आज अदालत में नहीं है। यह कहना गलत है कि मौके पर उसके सामने कोई कार्रवाई नहीं की हो, थाने में बैठकर की हो।

11. गवाह पी0डब्ल्यू–02 रामप्रसाद नागर ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 11.04.2016 को थाना बारां सदर में एचसी के इंचार्ज मालखाना के पद पर तैनात था। उस दिन श्री महावीर प्रसाद एएसआई द्वारा मुकदमा नंबर 132/16 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट में मुल्जि राजेन्द्र से जप्त शुदा पैकेट मार्क ए व बी सील्ड ालात में लाकर जमा मालखाना हेतु पेश करने पर उसके द्वारा मालखाना रजिस्ट्रर क्रमांक 495/134 पर इंद्राज कर जमा मालखाना किया व इसी मुकदमें में मुकदमें के पैकेट मार्क ए को रासायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल जयपुर में जमा कराने बाद मय अग्रेषण पत्र अर्जुनराम कानि. को मालखाना से निकालकर दिनांक 26.04.2016 को एसपी ऑफिस बारां व एफएसएल हेतु जयपुर रवाना किया था। कानि द्वारा बाद जमा माल रसीद संख्या 4574 दिनांक 27.04.2016 को लाकर पेश की थी जो रजिस्टर में इंद्राज कर आईओ को संभलाई। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 04 पर ए से बी तीन जगह उसके हस्ताक्षर व सी से डी अर्जुनराम के हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 04 ए है जो शामिल पत्रावली है।

12. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि माल मालखाने में महावीर प्रसाद ने जमा करवाया था। प्रदर्श पी 04 मालखाना रजिस्टर पर माल जमा कर्ता के हस्ताक्षर नहीं है। जो माल जमा किया था वो आज साथ नहीं लाया।

13. गवाह पी0डब्ल्यू–03 महावीर प्रसाद ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 11.04.2016 को थाना बारां सदर पर एएसआई के पद पर पदस्थापित था। उस दिन वह व श्री विनोद कुमार कानि, मेघराज कानि मय सरकारी मोटरसाईकिल के वास्ते करने चैकिंग अवैध शराब हथियार आदि हेतु ग्राम बडा कोयला व खेडली भेडोलिया की तरफ रवाना हुए थे। ग्राम खेडली भडालिया व गैस गोदाम के मध्य रोड पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसके कंधे पर एक कट्टानुमा वस्तु थी। जिसको उसने व हमराह जाब्ता ने डिटेन कर रोका एवं नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पता राजेन्द्र होना बताया। उसके पास के कट्टे के बारे में व भागने के बारे में उससे पूछताछ की तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। उसके पास के कट्टे की चैकिंग हेतु स्वतंत्र गवाहान की तलाश की, नहीं होने पर हमराह जाब्ता में से विनोद कुमार कानि व मेघराज कानि को गवाह मामूर कर उसके पास के कट्टे को खोलकर चौक किया तो उसमें 62 क्वार्टर देशी सादा मदिरा घुघरू 59 यूपी 180 एमएल के लेबल लगा हुआ मिला जिसका सूंघा व चखा तो देशी शराब होना पाया गया। 62 क्वार्टर अपने साथ ले जाने व रखने बाबत् वैध लाइसेंस चाहा तो नहीं होना बताया। इस पर उक्त राजेन्द्र का कृत्य 19/54 एक्साईज एक्ट का अपराध होने से उक्त 62 क्वार्टरों में से 1 क्वार्टर एफएसएल परीक्षण हेतु सेम्पल लिया जाकर सील मोहर कर मार्क ए दिया गया। शेष 61 क्वार्टरों को उसी कट्टे में रखकर सील मोहर कर मार्क बी दिया गया। मुलजिम राजेन्द्र का कृत्य आपराधिक होने से उसे जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया। फर्द जब्ती एवं चैकिंग तैयार की जो प्रदर्श पी 01 है, जिस पर सी से डी दो जगह उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगूठा निशानी है वायच स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 2 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगूठा निशानी है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 05 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

14. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि जप्तशुदा माल आज उसके सामने नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी 01 में यह लिखा नहीं है कि प्रत्येक क्वार्टर को खोलकर चैक किया। यह कहना सही

है कि प्रदर्श पी 02 पर पुलिस कर्मी के अलावा अन्य स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर नहीं हैं यह कहना सही है कि कट्टे के ऊपर क्या लिखा था यह फर्द में नहीं लिखा है यह कहना गलत है कि मौके पर कोई कार्रवाई नहीं की हो और थाने पर बैठकर केस बनाया हो।

15. गवाह पी0डब्ल्यू–04 अर्जुनराम ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 26.04.2016 को थाना बारां सदर में कास्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन मालखाना इंचार्ज श्रीह रामप्रसाद जी द्वारा मुकदमा नंबर 132/2016 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट सील्डशुदा एक पैकेट जिस पर मार्क ए मय अग्रेषण पत्र एसपी ऑफिस बारां में रवाना किया गया। एसपी ऑफिस बारां से एफएसएल जयपुर का पत्र बनवाकर दिनांक 27.04.2016 को एफएसएल माल जमा करवाया, एफएसएल प्राप्त की, जमा माल रसीद प्रदर्श पी 06, एफएसएल रसीद नंबर 4574 प्राप्त की। रवाना होकर वापस दर्ज करवाई गई। एफएसएल रसीद मालखाना इंचार्ज को दी गई।

16. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 06 पर थाने की कोई सील अंकित नहीं है और जिसने जारी की है उसकी भी सील अंकित नहीं है। वह एक पैकेट लेकर गया था। पैकेट सील्डशुदा था इसलिए वह नहीं बता सकता उसमें क्या था।

17. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिरा स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में घटना के बाबत् एक फर्द जप्ती व चैकिंग प्रदर्श पी 01 परिवादी महावीर प्रसाद मय जाप्ता विनोद कुमार व मेघराज के इस आशय पेश किया गया कि दिनांक 11.04.2016 को गश्त व चैकिंग के दौरान खेडली भेडोलियान के पास गैस गोदाम के सामने एक व्यक्ति अपने कंधे पर एक कट्टा लिए मोटया के टापरों की तरफ जाता हुआ नजर आने जो पुलिस जाप्ता को देखकर भागने लगने, जिसे जाप्ता की मदद से पकड कर नाम पता पूछने तो उसने अपना नाम राजेन्द्र बताया व उसके कब्जे में मिले कट्टे को चैक करने जिसमें 62 देशी शराब के क्वाटर रखे मिलने, प्रत्येक क्वाटर पर घुघंरू देशी सादा मदिरा के होने जिन पर 50 यूपी 180 एमएल लिखा होने, जिनके बारे में अनुज्ञापत्र चाहा तो अनुज्ञापत्र नहीं होना बताने, उक्त माल को मौके पर ही सील्ड मोहर कर चीट चस्पा कर मुल्जिम को गिरफ्तार करते हुए वापिस थाना आकर मुकदमा दर्ज करवाने व माल व मुल्जिम को बंद हवालात करने के बाबत् पेश किया है जिस संबंध में जप्तीकर्ता महावीर प्रसाद पी.डब्ल्यू–03 के रूप में न्यायालय में परीक्षित होते हुए उक्त गवाह ने अपने बयानों में दिनांक 11.04.2016 को मय जाप्ता के सामने प्रदर्श पी 01 के माध्यम से मुल्जिम के

कब्जे से शराब बरामद करने व मुल्जिम को गिरफ्तार प्रदर्श पी 02 के माध्यम से करते हुए चाक एफआईआर प्रदर्श पी 05 पर उसके हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य दी है। इसी प्रकार जप्ती का अन्य गवाह मेघराज पी.डब्ल्यू–01 के रूप में परीक्षित होते हुए अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 11.04.2016 को महावीर प्रसाद एएसआई के साथ मय जाप्ता चैकिंग गश्त के दौरान मुल्जिम राजेन्द्र के कब्जे से प्लास्टिक के कट्टे में देशी शराब के कुल 62 क्वाटर बिना अनुज्ञापत्र के प्रदर्श पी 01 के माध्यम से जप्त करने एवं मुल्जिम राजेन्द्र को प्रदर्श पी 02 के माध्यम से गिरफ्तार करने, नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 बनाने, सभी फर्दों पर उसके हस्ताक्षर होने व मय माल मुल्जिम के वापस थाने आने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दी है। इस प्रकार उक्त गवाह के बयानों से प्रदर्श पी 01 के माध्यम से उक्त शराब राजेन्द्र के कब्जे से बरामद करना उक्त गवाह की साक्ष्य से प्रकट होता है। उक्त माल मुल्जिम राजेन्द्र के कब्जे से बरामद नहीं किया गया हो इस संबंध में कोई खंडन्न मुल्जिम की ओर से की गई जिरह के दौरान नहीं होना प्रकट होता है तथा उक्त माल जो प्रदर्श पी 01 के माध्यम से जप्त किया गया है वह थाने के मालखाने में प्रदर्श 04ए के माध्यम से जमा होना गवाह रामप्रसाद नागर पी.डब्ल्यू–02 के बयानों से प्रकट होता है, जिसके द्वारा अपने बयानों में महावीर प्रसाद एएसआई द्वारा मुकदमा नंबर 132/2016 में जप्तशुदा माल सील्डशुदा दो पैकेट मार्क ए व बी लाकर उसे मालखाना में जमा करने हेतु सुपुर्द करने, असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 04 होने जिस पर उसके हस्ताक्षर होने को स्वीकार किया जाना प्रकट होता है तथा जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 04ए शामिल पत्रावली करने, जप्तशुदा पैकेट मार्क ए को मय अग्रेषण पत्र के एफएसएल कार्यालय में जमा करवाने हेतु अर्जुन राम कांस्टेबल को सुपुर्द कर एसपी ऑफिस के लिए रवाना करने, जिसकी जमा रसीद लाकर पेश करने जिसे अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द करने के बाबत् साक्ष्य दी है। इसी प्रकार नमूना सेंपल को एफएसएल हेतु जमा करवाने वाला गवाह अर्जुन राम पी.डब्ल्यू–04 के रूप में परीक्षित होते हुए माल एफएसएल में जमा करवाकर एफएसएल जमा रसीद प्रदर्श पी 06 मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द करने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दिया जाना प्रकट होता है तथा प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी रामप्रसाद के बयान पत्रावली पर लेखबद्ध नहीं होना प्रकट होता है लेकिन प्रकरण में मुल्जिम राजेन्द्र के कब्जे से प्रदर्श पी 01 के माध्यम से उक्त माल बिना अनुज्ञापत्र के बरामद किया जाना, मौके पर कार्यवाही किया जाना साक्ष्य से प्रकट होता है, जिस बाबत् कोई खंडन्न मुल्जिम की ओर से पत्रावली पर नहीं होना प्रकट होता है। इस प्रकार जो साक्ष्य पत्रावली पर पेश हुई है उसका खंडन्न मुल्जिम की ओर से पत्रावली पर नहीं होना

प्रकट होता है तथा नक्शा मौका व जप्ती गवाह मेघराज व अन्य गवाहान की साक्ष्य से प्रमाणित होना प्रकट होती है तथा माल मालखाने में प्रदर्श पी 04ए के माध्यम से जमा होना गवाह रामप्रसाद के बयानों से होना प्रकट होता है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचन अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का अपराध साक्ष्य से पूर्णतया प्रमाणित होना प्रकट होता है। इसलिए अभियुक्त **राजेन्द्र** को अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

18. अतः अभियुक्त **राजेन्द्र** पुत्र किशोरलाल निवासी खजूरना कला थाना अंता जिला बारां राज. को अपराध अंतर्गत धारा अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। मुल्जिम के पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

<u>सजा के बिन्दु पर सुना गया :–</u>

19. दण्ड के प्रश्न पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है कि अभियुक्त लंबे समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए परिवीक्षा प्रावधानों का लाभ दिये जाने का निवेदन किया है। इसका विरोध करते हुए विद्वान् अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

20. उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया, पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त प्रकरण में वर्ष 2016 से अन्वीक्षा भुगत रहा है और अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर कोई पूर्व दोषसिद्धि भी नहीं है। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::– दण्डादेश –::

21. अतः अभियुक्त **राजेन्द्र** पुत्र किशोरलाल निवासी खजूरना कला थाना अंता जिला बारां राज. को आरोपित अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है जिसके लिए अभियुक्त को तुरंत कारावास की सजा से दंडित न किया जाकार परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 (1) का लाभ दिया जाकार आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त 01 वर्ष की अवधि के लिए 10,000/– रूपए की राशि की जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका इन शर्तों का पेश कर तस्दीक करा दे कि वह इस अवधि में शांति एवं सदव्यवहार बनाए रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित होकर दंडादेश पायेगा, तब उसे परिवीक्षा पर छोडा जावे। साथ ही अभियुक्त पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 05 के तहत 200 रूपए (अक्षरे कुल दो सौ रूपए) अभियोजन व्यय स्वरूप अधिरापित किए जाते हैं। उक्त राशि जमा राजकोष रहे। प्रकरण में जप्तशुदा माल को नियमानुसार बाद गुजरने मियाद अपील निमानुसार निस्तारित किया जावे।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

22. निर्णय आज दिनांक 21.04.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)